Sahaja Yoga Central Committee of India
(Formed as per instructions given on July 20, 2008 by Mataji Shree Nirmala Devi, after Guru Puja)

Her Holiness Mataji Shree Nirmala Devi
(Founder of Sahaja Yoga)

communications@syccindia.org www.syccindia.org

जय श्री माताजी

''अब हम लोगों को जब सहजयोग की ओर नए तरीके से मुड़ना है तो बहुत सी बातें ऐसी जान लेनी चाहिऐं कि सहजयोग ही सत्य स्वरूप है और हम लोग सत्य निष्ठ हैं। जो कुछ असत्य है, उसे हमें छोड़ना है। कभी–कभी असत्य का छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत दिन तक हम किसी असत्य के साथ जुटे रहते हैं, फिर कठिन हो जाता है कि उस असत्य को हम कैसे छोड़ें। लेकिन जब असत्य हम से चिपका रहेगा तो हमें शुद्धता नहीं आ सकती। क्योंकि असत्यता एक भ्रामकता है और उस भ्रम से निकलने के लिए हमें एक निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी सत्य होगा उसे हम स्वीकार्य करेंगे और जो असत्य होगा उसे हम छोड़ देंगे। इसके निश्चय से ही आपको आश्चर्य होगा कि कुण्डलिनी स्वयं आपके अन्दर जो कि जागृत हो गई है, इस कार्य को करेगी और आपके सामने वो स्थिती ला खड़ी करेगी कि आप जान जाऐंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यही नहीं और आपके अन्दर वो शक्ति आ जाएगी कि जिससे आप सिर्फ सत्य को ही प्राप्त करना चाहेंगे और जितना भी असत्य आपको दिखाई देता है, उसे छोड़ देंगे।''

कुण्डलिनी पूजा, 5 फरवरी 1990, हैदराबाद, भारत।

प्रतिष्ठान, पुणे, महाराष्ट्र, भारत

सहज योग सेन्ट्रल कमेटी ऑफ इण्डिया (SYCCI) ने 17 मई 2020 को अपनी बैठक में, परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवी की इच्छाओं और शब्दों के विपरीत, प्रतिष्ठान पुणे के गलत उपयोग पर चर्चा की। इस पर चर्चा की गई और इस बात पर सहमति हुई कि SYCCI को ऐसे सभी गलत कृत्यों का निष्क्रिय साक्षी नहीं होना चाहिए और उनमें सहज सामूहिकता को प्रबुद्ध करके इस प्रकार की चीज़ों को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

प्रतिष्ठान पुणे– सर सी.पी. के द्वारा गलत और अनैतिक हस्तान्तरण

परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी सहज योग ट्रस्ट (NDSY Trust) द्वारा प्रतिष्ठान, पुणे का अधिग्रहण श्री माताजी की इच्छाओं के अनुसार नहीं था। **दस्तावेज़ बताते हैं की प्रतिष्ठान पुणे का हस्तान्तरण श्री माताजी की इच्छाओं के अनुसार नहीं था और न ही भूमि के कानून के अनुसार था** :

- प्रतिष्ठान, पुणे को श्री माताजी की उँगलियों के निशान लेकर एन.डी.एस.वाई. ट्रस्ट में हस्तान्तरित कर दिया गया था, जब वे (श्री माताजी) सचेत नहीं थी, सर सी.पी., श्री माताजी की छोटी बेटी श्रीमती साधना वर्मा और दिनेश राय सहित एन.डी.एस.वाई ट्रस्ट के ट्रस्टी और अशोक अग्रवाल की उपस्थिती में (अनुलग्नक 1 भाग ए) **आज तक सहज सामुहिकता के साथ, प्रतिष्ठान के हस्तान्तरण का कोई वीडियो या सबूत साझा नहीं किया गया था, जैसे की अन्य समान हस्तान्तरण के मामलों में किया गया था।**

- सर सी.पी. ने जून 1987 में एक शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि नोटरी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि प्रतिष्ठान का उपयोग केवल निजी प्रयोजनों के लिए निजी फार्म हाउस निवास के लिए तथा कृषि से सम्बन्धित मामलों के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग ''आश्रम'' या मन्दिर या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य *जो भी हो, के लिए करने का* आशय नहीं था और इस रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। (अनुलग्नक 2)

- श्री माताजी के वकील (1987 में) ने अदालत में एक घोषणा पत्र भी दिया था (जब पुणे कलैक्टर प्रतिष्ठान को कृषि क्षेत्र में एक मन्दिर मानते हुए ध्वस्त करने के लिए आया था), कि यह उनका निजी फार्म हाउस था, मन्दिर नहीं। जब मामला उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आया, तो श्री माताजी के पक्ष में निर्णय लिया गया (अनुलग्नक–3)

प्रतिष्ठान पुणे– प्रतिष्ठान के उपयोग के सम्बन्ध में श्री माताजी की इच्छाओं की पूर्ती नहीं

- निर्मल विद्या अमृता पर उपलब्ध उनके एक भाषण में, जिसमें श्री माताजी के भाषणों के प्रामाणिक वीडियो, और ऑडियो और ट्रान्सक्रिप्शन हैं, एक भाषण (https://www.amruta.org/1988/12/18/pratishthan-showing the house pune india-1988/), में श्री माताजी सहज योगियों को प्रतिष्ठान दिखाते हुए, प्रतिष्ठान के प्रयोग करने से सम्बन्धित अपनी इच्छाऐं स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हैं और स्पष्टतया अपने परिवार, बेटियों और दामाद के लिए बने कमरों की ओर इशारा करती हैं। (अनुलग्नक–4)

- ऐसे कई योगी हैं, जिन्होंने देखा है कि श्री माताजी नहीं चाहती थीं कि योगी प्रतिष्ठान के आस–पास घूमते रहें और उन्होंने प्रतिष्ठान के द्वार पर ध्यान लगाने वाले योगियों को वहाँ से जाने के लिए और इसके बजाय आश्रम में ध्यान करने हेतु कहा है। उनके भाषण (श्री गणेश पूजा, मुम्बई 18 सितम्बर 1988 https://www.amruta.org/1988/09/18/shri-ganesha-puja-2/) में वे (श्री माताजी) यह बिना किसी सन्देह के स्पष्ट रूप से कहती हैं। (अनुलग्नक–5)

- निजी डोमेन में अन्य दस्तावेज़ हैं जो साबित करते हैं कि श्री माताजी ने अपनी बेटियों को प्रतिष्ठान देने की इच्छा व्यक्त की है।

प्रतिष्ठान पुणे–एन.डी.एस.वाई. ट्रस्ट द्वारा अवैध उपयोग

- हालांकि, प्रतिष्ठान पुणे एन.डी.एस.वाई. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, जो उनकी (श्री माताजी की) व्यक्त इच्छाओं के विपरीत है और साथ ही भूमि के (देश के) कानून के भी विपरीत है। जिन उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठान का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें से कुछ हैं :
    - संग्रहालय
    - योगियों का आवास
    - बड़ी सभा के साथ पूजन
    - सामाजिक कार्यक्रम
    - सहज प्रचार और प्रसार
    - और कई अन्य उद्देश्य, जो उनकी (श्री माताजी की) इच्छाओं व भूमि के निर्धारित उपयोग के विपरीत हैं।
- एन.डी.एस.वाई. ट्रस्ट ने सबसे बड़े ऑनलाईन ध्यान सभा के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने के लिए प्रतिष्ठान का इस्तेमाल किया है, और सहज सामुहिकता में सहज योग को नीचा व सस्ता दिखाने वाले विभिन्न तुच्छ और नकली पुरस्कार वितरित किए हैं। श्री माताजी ने अपने जीवन काल में कभी भी इस प्रकार के पुरस्कारों को प्रोत्साहित नहीं किया।

निष्कर्ष:

सहज योग श्री माताजी को प्रसन्न रखते हुए काम करता है। सहज योगियों के रूप में, हमारा धर्म यह है कि हम वे कार्य करें जो श्री माताजी को प्रसन्न करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं और उनके निर्देशों की पूर्ती हेतु। इस मामले में, श्री माताजी ने स्पष्ट रूप से अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए प्रतिष्ठान का निर्माण किया और इच्छा की, कि प्रतिष्ठान का उपयोग उनके परिवार–बेटियों, दामादों और नाति–नातिनों के लिए किया जाए। श्री माताजी की इस इच्छा को पूरा करना सर सी.पी. का कर्तव्य था। शपथ–पत्र व मुकदमे भी स्पष्टतया दर्शाते हैं कि प्रतिष्ठान निजी उद्देश्यों के लिए था। इसलिए, **सर सी.पी. के लिए प्रतिष्ठान को गुप्त रूप से चुपचाप एन.डी.एस.वाई. ट्रस्ट को आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में उपयोग करने के लिए हस्तान्तरित करना, अवैधानिक तथा भूमि के नियमों के खिलाफ, श्री माताजी की इच्छाओं के खिलाफ है और इसलिए असहज और अधार्मिक है।**

किसी भी तरह से उनकी (श्री माताजी की) इच्छाओं के विपरीत इसका उपयोग किया जाना सहज योगियों या किसी भी सहज ट्रस्ट के लिए भी अधार्मिक और असहज है।

सहज योग सेन्ट्रल कमिटी ऑफ इण्डिया के समस्त सदस्य
18 जुलाई 2021

अनुलग्नक 1

सहज योगियों की स्मृतियाँ

ए) कई वर्षों तक श्री माताजी के लेखाकार रहे श्री पराग राजे का फोन पर साक्षात्कार

(नोटः पराग राजे कई वर्षों तक श्री माताजी के निजी अकाउण्टेन्ट थे और उनके द्वारा (श्री माताजी के द्वारा) लाईफ इटरनल ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किए गए थे। पराग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर सी.पी. के द्वारा श्री माताजी के हस्ताक्षर और उँगलियों के निशान लेने के बारे में सार्वजनिक रूप से लिखा था, जब श्री माताजी बेहोश थीं और चेतन अवस्था में नहीं थीं, जैसा कि यह पराग और सर सी.पी. के बीच निम्नलिखित आदान–प्रदान (संवाद) में दिखाई देता है।)

पराग: 1994 से मैंने गणपतिपुळे के स्वयंसेवक लेखाकार (अकाउण्टैन्ट) के रूप में शुरूआत की। कुछ समय बाद मैं श्री माताजी का व्यक्तिगत लेखाकार (अकाउण्टैन्ट) बन गया। मुझे याद है कि उन्होंने (श्री माताजी ने) मुझे 15 अगस्त 2003 को प्रतिष्ठान में लाईफ इटरनल ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया था। श्री माताजी के व्यक्तिगत वित्त (खर्चों) के निर्णय पर सर सी.पी. का काफी नियन्त्रण था। एक समय पर, वे (सर सी.पी.) चाहते थे कि सब वैध हो जाए ताकि सब कुछ एक ऑन लाईन प्लेटफार्म के माध्यम से आगे बढ़े जब उनके (श्री माताजी के) वित्त बढ़ रहे थे, ताकि श्री माताजी को कोई कानूनी समस्या नहीं हो तथा न ही अधिकारियों से कोई समस्या हो। मुझे लगता है कि उन्होंने कानूनी अनुपालना के साथ गठबन्धन करने के मामले में सब कुछ काफी अच्छी तरह से प्रबंधित किया। परिवार के आंतरिक मामलों में केवल सर सीपी ही जिम्मेदार थे, वे सब कुछ सम्भाल रहे थे।

दवाओं के बारे में। हाँ, ऐसा समय था जब श्री माताजी बहुत सतर्क (सचेत) थीं और अगले दिन वह सुस्त दिखाई देती और इतनी सतर्क (सचेत) नहीं दिखाई देती। लेकिन सर सी.पी. एक ऐसी महान शख्सियत थे जिनके चरित्रवान होने के कारण, किसी को भी उनसे कुछ भी गलत हाने का संदेह नहीं था। मैं इस पर आगे टिपण्णी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक चिकित्सा पृष्ठभूमि (ज्ञान) नहीं रखता हूँ। हालाँकि, कानूनी दस्तावेज़ीकरण (जैसे कि वसीयत और महत्वपूर्ण नियुक्तियों) के सन्दर्भ में कई समस्याओं के बारे में आप नहीं कह सकते कि उन्होंने श्री माताजी के निर्णयों का पालन किया। वे इसे ऑडियो–विजुअल फॉर्मेट में कर सकते थे। आजकल, कानूनी दस्तावेज़ के अलावा किसी भी प्रकार के सन्देह से बचने के लिए ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिन्ग है। निश्चित रूप से श्री माताजी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए यह आदर्श होता। पावर ऑफ एटॉर्नी (मुखत्यारनामा) पति के लिए केवल पत्नी के व्यक्तिगत मामलों के लिए वैध थी और कानूनी राय के अनुसार प्राधिकरण के सार्वजनिक कार्यालय हस्तान्तरण को अधिकृत नहीं करती थी। एक अलग कानूनी प्राधिकरण दस्तावेज़ तब बनाया जाना चाहिए था। सुझाव के अनुसार ऑडियो विजुअल फिल्मांकन सभी सन्देहों को दूर कर सकता था। यह अजीब था कि इस सलाह का पालन क्यों नहीं किया गया। एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथों में ऐसी शक्तियों (ब्लैन्केट पावर्स) को हस्तान्तरित करने वाले दस्तावेज़ को अपनी प्रमाणिकता और आशय में सरल और गैर प्रतिस्पर्धी (जिसे चुनौती न दी जा सके ऐसा) होना चाहिए। निश्चित रूप से सर सी.पी. जेसे कद्दावर व्यक्ति को इस बात की जानकारी भलीभाँति थी।

पावर ऑफ अटॉर्नी (मुखत्यारनामा) इसलिए स्व–विरोधाभासी थी। यदि श्री माताजी सतर्क (सचेत) होती और निर्णय ले रही होती तो इस प्रकार के शक्ति हस्तान्तरण के दस्तावेज़ की आवश्यकता कहाँ थी। और अगर श्री माताजी ने अपनी आयु या शारीरिक अक्षमता के कारण इसे दिया था तो इसकी (मुखत्यारनामा की) प्रमाणिकता और श्री माताजी की इच्छापूर्ण सहमति को साबित करने के लिए इसे विजुअल (वीडियो) रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था। भविष्य के विवादों से बचने के लिए किसी भी सामान्य कानूनी सलाहकार द्वारा यह सावधानी बरती जाती है। मुझे यह हमेशा अजीब लगा कि सर सी.पी. ने इस सरल उपाय से लगातार परहेज़ क्यों किया।

जब श्री माताजी होश में नहीं थीं तब श्री माताजी के हस्ताक्षर को उठाने या उनकी उँगलियों के निशान लेने के बारे में सवाल। उस समय के आसपास, उनकी उँगलियों के निशान लेना उनके (श्री माताजी के) कमरे के अन्दर हुआ। केवल एक बार, मैंने दिल्ली में उनके घर में देखा (दस्तावेज़ प्रतिष्ठान के हस्तान्तरण से सम्बन्धित था) कि श्री माताजी चेतन अवस्था में नहीं थीं। वास्तव में, मैंने उस स्थिती के बारे में पत्र लिखे हैं, जिनमें श्री माताजी को पता नहीं था कि क्या चल रहा था। क्योंकि वास्तव में, उनकी पूर्व की वसीयत के मामले में मैं दस्तावेज़ के गवाहों में से एक था, श्री माताजी ने आपनी सम्पत्ति को अपनी दोनों बेटियों के लिए समान रूप से विभाजित किया था, परिणामस्वरूप इसे बदल दिया गया था, लेकिन मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। लेकिन इस विशेष स्थिती में मैं वहाँ था, जब उनके हस्ताक्षर और फिन्गर प्रिन्ट (अँगूठा निशानी, उँगलियों के निशान) ले लिए गए थे जब वे (श्री माताजी) निद्रावस्था में थीं। यह किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, वास्तव में, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा हो कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हों और मैं निद्रावस्था में होउँ, व्यक्ति को हमेशा चेतन अवस्था में होना चाहिए।

साक्षात्कारकर्ताः क्या आपने सर सीपी को ऐसा करते हुए देखा या उनहोंने किसी और से उँगलियों के निशान लेने के लिए कहा?

परागः मुझे नहीं पता। मैंने उस भारतीय परम्परा का पालन किया जिसमें आप हर समय गुरू की ओर नहीं देखते बल्कि चरणों की ओर देखते हैं। मैं उनके चरणों को निहारने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। सम्भवतः सर सीपी जो उनके (श्री माताजी के) बगल में बैठे थे। लेकिन यह तब हुआ जब वे (श्री माताजी) सो रही थीं। लेकिन अन्य परिस्थितियों में जहाँ इसी तरह के दस्तावेज़ों का निष्पादन किया गया था, यह उनके (श्री माताजी के) शयन कक्ष में किया गया था जहाँ बहुत अधिक व्यक्तियों की पहुँच नहीं थी (आना–जाना नहीं था)।

साक्षात्कारकर्ताः इस स्थिती के बारे में जो आपने दिल्ली में देखा, आपके साथ कौन मौजूद थे?

परागः मुझे याद है कि सभी नैशनल ट्रस्टी थे, सर सी.पी. वहाँ थे, साधना दीदी वहाँ थी, नैशनल ट्रस्टी जैसे दिनेश राय, अशोक और नैशनल ट्रस्ट के अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे।

साक्षत्कारकर्ताः क्या आपको वर्ष याद है?

परागः अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो यह 2010 था। दिसम्बर के करीब था, क्योंकि मुझे याद है कि सर सी.पी. ने उस समय के आस–पास नैशनल ट्रस्ट की एक बैठक की थी और एक संगीत कार्यक्रम था। उस ट्रस्ट की बैठक के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री माताजी के नाम के तहत निर्णय लिया गया था कि सभी पूजाऐं नैशनल ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में होंगी और कोई भी व्यक्ति उनके प्राधिकार (नैशनल ट्रस्ट के प्राधिकार) के बिना पूजा नहीं कर सकता। सर सी.पी. और साधना दीदी वहाँ पर थे, मैंने इसके बारे में विरोध करने का साहास किया और कहा कि यह भक्त और श्री माताजी के बीच का बहुत ही आध्यात्मिक बन्धन है, किसी को भी पूजा करने के बारे में नियन्त्रण में नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से सभी के लिए एक सूचित नवाचार (प्रोटोकॉल) पालन करने के लिए होना चाहिए, लेकिन पूजा के बारे में प्राधिकार रखना सामूहिकता और श्री माताजी के बीच मौजूद पुल को लाँघने के समान है। इसलिए इस सम्बन्ध में एक सक्रिय आदान–प्रदान हुआ था और मुझे लगता है कि यह एक चमत्कार था कि इसे अन्त में तय नहीं किया गया था, सर सी.पी. ने कहा कि शायद यह निर्णय लेने के लिए आवश्यक मनः स्थिती (मूड) नहीं थी। श्री माताजी बैठक में शरीरिक रूप से उपस्थित नहीं थी, लेकिन ऊपर घर में मौजूद थीं और यह उनके प्रस्थान करने से पूर्व नैशनल ट्रस्ट की आखिरी बैठक थी। इसलिए, सर सी.पी. ने कुछ और करने के विषय के लिए निर्देशित किया और निर्णय नहीं लिया गया।

साक्षात्कारकर्ताः क्या आप याद कर सकते हैं आपने देखी हो एक अन्य परिस्थिति जहाँ उनके (श्री माताजी के) उँगलियों के निशान के हस्ताक्षर उनके प्राधिकार (सहमति) के बिना लिए गए हों?

परागः एक और स्थिति थी जब श्री माताजी को व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में कुछ दस्तावेज उनके प्राधिकरण के लिए प्रस्तुत किए गए थे। नोटरी ने मुझे बताया कि यह मेरे पेशे के खिलाफ है, मैं जिस तरह से काम करता हूँ, क्योंकि माँ अपने अलर्ट मोड (चेतन अवस्था) में नहीं हैं और यह सर सी.पी. द्वारा दिया गया एक आदेश था।

बेशक इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक थी। मुझे वास्तव में एक और स्थिति याद है जब श्री माताजी अभी भी सतर्क थीं (चेतन अवस्था में थीं), एक हस्तान्तरण का दस्तावेज़ था या ऐसा कुछ, यह व्यक्तिगत प्रकृति का था और उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, ''क्या आप इसके बारे में जानते हैं ?'' जैसे कि वे अप्रत्यक्ष रूप से मुझ से पूछ रही थी कि क्या इस दस्तावेज़ में मेरी सहमति थी। मैं बहुत मुश्किल स्थिति में था क्योंकि मैं सर सी.पी. के खिलाफ नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि श्री माताजी के खिलाफ भी नहीं और मैं नतीजों के बारे में अनभिज्ञ था या मैं इसके बारे में कुछ कह सकूँ। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए लेकिन यह आखिरी बार था जब मैंने श्री माताजी को मेरे सामने अलर्ट मोड (चेतन अवस्था) में कुछ हस्ताक्षर करते हुए देखा। उस समय उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि वे मेरी परीक्षा ले रही हैं और मुझे ऐसा लगा मानो मुझे दीवार से लगा दिया हो।

साक्षात्कारकर्ताः क्या आप किसी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ सँरचना के बारे जानते हैं जो उन परिस्थातियों में निर्मित हो सकता है जहाँ माँ चेतन अवस्था में नहीं थीं जैसा आपने समझाया?

परागः कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं एक पक्षपाती पक्षकार हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नैशनल ट्रस्ट का पूरा निर्माण माँ की वास्तविक सहमति के बगैर किया गया था। मुझे याद है कि सर सी.पी. ने मुझे बताया था कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे ताकि भारत का उत्तर भाग परिवार की एक शाखा (अर्थात साधना दीदी) और अन्य परिवार के तहत दक्षिण भाग (अर्थात कल्पना दीदी) हो। हालाँकि बाद में, उन्होंने नैशनल ट्रस्ट का गठन किया और जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वह चाहते थे कि सम्पूर्ण ट्रस्ट केवल एक विशेष शाखा के नियन्त्रण में हो। श्री अरूण प्रधान, एक बहुत वरिष्ठ सहज योगी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ''यह सहज योग नहीं है, यह महल की राजनीति है।''

(हमने फोन कॉल के साथ समस्याओं का अनुभव किया और इसे दूसरे दिन जारी रखने पर सहमति हुई)

परागः सहज योगियों की स्वयं विध्वंसक गतिविधियों और सरकारी अधिकारियों को गुमनाम शिकायती पत्र लिखने के कारण, ट्रस्ट मुसीबत को आमन्त्रित कर सकता था और चैरिटी आयुक्त द्वारा नियन्त्रण की कार्रवाई की जा सकती थी। जैसा कि यह है कि वे विभिन्न अधिकारियों द्वारा कड़ी जाँच के अधीन थे। ऐसे उदाहरण थे कि वे लिए गए कुछ निर्णयों और कुछ गुमनाम पत्रों के कारण सरकार द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के जोखिम में थे। इसलिए उन चीजों को सार्वजनिक करने की अपेक्षा घर में बैठना और इन परिस्थितियों सुलझाना बेहतर था। उनकी गतिविधियों के द्वारा कई चीज़ों के नतीजे एक आपराधिक मामले के रूप में आ सकते थे और उस समय श्री माताजी अध्यक्ष थीं। मूर्खता इतनी अधिक थी कि इनमें से कई लोग अपने कार्यों के नतीजे को नहीं माप रहे थे। इसलिए, वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था।

बी) धनेश पराड़कर, भारत के सहज योगी

''मैं प्रतिष्ठान में था जब श्री माताजी ने अपने हाथों से गेट के पास खड़े ध्यानस्थ योगियों के एक समूह पर ध्यान दिया। श्री माताजी ने इन योगियों को प्रतिष्ठान छोड़ कर जाने और पुणे में सहज योग केन्द्र या अपने घरों में उनकी तस्वीर के साथ ध्यान करने के लिए कहा। वह नहीं चाहती थीं कि सहज आयोजनों के लिए प्रतिष्ठान हो, क्योंकि यह उनका पारिवारिक घर था और वह स्थान जहाँ वे सेवा निवृत्त (रिटायर) होना चाहती थीं।''

सी) भारत से डॉ0 एस सी निगम, सहज योगी

श्री माताजी ने स्वयं उनसे कहा था कि प्रतिष्ठान उनका निजी घर था और उन्होंने कहा कि कम से कम एक घर उनके और उनके परिवार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। श्री माताजी ने यह भी कहा कि चूंकि यह उनका निजी घर था, इसलिए वे घर के लिए सहज योगियों से कोई योगदान नहीं चाहती थीं।

<u>अनुलग्नक 2:</u>

सर सीपी का शपथ पत्र 1987 में हस्ताक्षरित किया गया

सर सीपी ने 1987 में श्री माताजी के अनुरोध पर एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें वह वचन दे रहे हैं कि प्रतिष्ठान का घर एक पारिवारिक सम्पत्ति के रूप में रहेगा और इसका उपयोग आश्रम या मन्दिर के रूप में नहीं किया जाएगा।

<u>AFFIDAVIT</u>

I, Chandrika Prasad Srivastava, presently employed as the Secretary-General of the International Maritime Organization of the United Nations system, with Headquarters at 4 Albert Embankment, London, United Kingdom, do hereby declare and affirm on oath as follows:

1. That at my request and with my full concurrence, my wife, Mrs. Nirmala Srivastava, has built a farm house on plot bearing Survey No.94/2 in Village Warje, Haveli Taluqa, District Pune, India.

2. That the aforesaid premises will be used solely as our private farm house residence and for our private research regarding plants, flowers and other agriculture related matters.

3. That the aforesaid premises are not intended to be used and will not be used as an "ashram" or a temple or as a place for any other public purpose whatsoever.

SWORN at 15/19 Kingsway, London, WC2B 6UU England, this 5th day of June 1987

Before me :

WBKennaw. Not Pul.

शपथ–पत्र हिन्दी अनुवाद

मैं चन्द्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव के रूप में कार्यरत हूँ, जिसका मुख्यालय 4 अलबर्ट तटबन्ध, लन्दन, यूनाईटेड किंगडम में है, इसके द्वारा शपथ पूर्वक निम्नानुसार घोषणा व पुष्टि करता हूँः–

1. यह कि मेरे अनुरोध पर और मेरी पूर्ण सहमति से, मेरी पत्नी श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव ने भारत के जिला पुणे, के हवेली ताल्लुका के, वार्जे ग्राम में सर्वे संख्या 94/2 के भूखण्ड पर एक फार्म हाउस बनाया है।

2. यह कि उपरोक्त परिसर का उपयोग केवल हमारे निजी फार्म हाउस निवास के रूप में और पौधों, फूलों और अन्य कृषि सम्बन्धी मामलों के बारे में हमारे निजी शोध के लिए किया जाएगा।

3. यह कि उपरोक्त परिसरों का उपयोग ''आश्रम'' के तौर पर नहीं किया जाएगा तथा ना ही इनका उपयोग आश्रम, मन्दिर अथवा अन्य किसी सार्वजनिक उद्देश के लिए किए जाने का कोई आशय है।

15/19 किंग्सवे, लन्दन,
डब्ल्यू सी2बी6यूयू इंग्लैण्ड
पर दिनांक 15 जून 1987
को शपथ ली

हस्ताक्षर
सी पी श्रीवास्तव

मेरे समक्षः
हस्ताक्षर
डब्ल्यू बी कैनास
नोटेरी पब्लिक

अनुलग्नक 3:

योगी महाजन का स्मरण

https://www.amruta.org/recollections/chapter-3-1987-may-australia/?highlight=Ganesha-like%20lawyer

गणेश–जैसे वकील

28 मई 1987 को प्रतिष्ठान को ध्वस्त करने के लिए पुणे कलैक्टर के आदेश के खिलाफ दायर एक मुकदमे की यह कहानी है, जैसा कि अधिकारियों ने यह कयास किया कि यह एक मन्दिर था, और इस प्रकार से एक कृषि क्षेत्र में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। श्री माताजी की दलील थी कि यह उनका निजी फार्म हाउस था, मंदिर नहीं। (श्री माताजी ने कृषि भूमि पर चावल और सूरजमुखी दोनों उगाए)

जब मामला सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में आया, तो उनका (श्री माताजी का) वकील अदालत में नहीं था। कहीं से एक युवा लड़का वकील के कपड़े पहने हुए न्यायाधीश के सामने आया और उसने मामले को खारिज करने का अनुरोध किया, लेकिन सुनवाई के लिए एक घन्टे के लिए स्थगित करने हेतु भी निवेदन किया। गणेश जैसा वकील किसी तरह श्री माताजी के वकील का पता लगाने में कामयाब रहा, जो एक अन्य अदालत में एक मामले में बहस कर रहा था, और उसे उच्च न्यायालय में लेकर आया। श्री माताजी के पक्ष में मामला तय होने के बाद, गणेश जैसा वकील गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और इससे पहले उसे किसी ने नहीं देखा था।

योगी महाजन

अनुलग्नक 4:

श्री माताजी ने योगियों को 1988 में प्रतिष्ठान दिखाया

https://www.amruta.org/1988/12/18/pratishthan-showing_the_house_pune_india-1988/

.....**अब यह मेरी बड़ी बेटी का फ्लैट है।** यहाँ एक डब्ल्यू.सी. है यहाँ अतिथियों के लिए डब्ल्यू.सी है। (माँ मराठी में कुछ बोलती हैं) **और अब यह उसका फ्लैट है।** (सहज योगीः फ्लैट) फ्लैट। यहाँ एक अतिथी हेतु डब्ल्यू.सी. है। और यहाँ हमारे पास है ? फ्लैट के अन्दर। तो वहाँ गोपनीयता है। जो लोग यहाँ आते हैं वे यहाँ बैठ सकते हैं। एक भोजन कक्ष है और रसोई वहाँ पीछे है। यह यहाँ खुला स्थान है और यह बच्चों के अध्ययन के लिए है। यह बच्चों का अध्ययन कक्ष है। **और उसके दो बच्चे हैं। तो यह उनके लिए दो शयन कक्ष (बैडरूम) हैं।** (सहज योगीः और यह इतनी ताजी हवा है माँ) इतनी ताज़ा हाँ। एकदम ताज़ा। वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे। इसलिए मैंने इस जमीन को खरीदा है। **यह एक बेटी के लिए है।** और यहाँ हमारी बालकनी है। इस तरफ। और आपको (अस्पष्ट आवाज़) से जाना होगा। और ये वाला। (अस्पष्ट आवाज़) ये बालकनी है। इस के लिए है। इसे फिर से मैंने यहाँ रखा है। अभी भी ढका जाना है और भरा जाना है। ठीक है तुम दोनों यहाँ हो। **मेरे नातियों के लिए ये दो कमरे हैं। यह कल्पना**

का घर है। कल्पना का फ्लैट। और यह (अस्पष्ट) है। संगीत के शौकीन (अस्पष्ट) यह टेलीविज़न है और (अस्पष्ट आवाज़)

उसके लिए यह दो कमरे। (अस्पष्ट आवाज़) **मेरे दामाद के लिए** (सहज योगीः आप नीले शीशे पसंद करते हैं) (अस्पष्ट आवाज़) (सहज योगीः श्री माताजी इतना सुन्दर घर) सच में ? (सहज योगीः सचमुच दिव्य) **और यह हमारा स्टोर रूम है। कल्पना का। और यह उसका घर है, फ्लैट।** और बाहर एक गैलरी है। लड़कियों को (अस्पष्ट आवाज़)। (सहज योगीः मैं ? थोड़े पीतल का उपयोग किया है) और हमारे पास सभी हैं, मैंने सभी पीतल का उपयोग किया है (अस्पष्ट आवाज़)। और भारत में पीतल अन्य चीज़ों की तुलना में बहुत सस्ता है। इसलिए मैंने पीतल (सहज योगीः....को (अस्पष्ट)) के रूप में माना जाता है सो... (अस्पष्ट आवाज़) आईए। आप सभी बाद में बात कर सकते हैं। नमस्ते। घर की तरह। इसे पसन्द करें। (सहज योगीः वह कहता है (अस्पष्ट आवाज़) रोज़ाना) आप यहीं रहते हैं। ठीक है। अच्छा विचार है। बच्चों के लिए इस तरह के आराम आगे। इसलिए। आपके पास (अस्पष्ट आवाज़) हो सकता है। **यह मेरी बड़ी बेटी का फ्लैट है। और फिर छोटी बेटी का। रसोई उस तरफ है। मेरा मतलब है कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह मेरी बड़ी बेटी का फ्लैट है।**

साथ आओ। यह सिर्फ कॉरिडोर (बरामदा) होगा। (सहज योगीः नीले शीशों का कोई कारण है?) हाँ। कम नहीं। केवल 4 रुपए प्रति वर्ग फुट। वे सस्ते हैं। यदि आप इन्हें डिज़ाईन के साथ लेते हैं, वे सस्ते हैं। ये सादे हैं। (सहज योगीः बहुत अच्छा) यह उनके लिए हॉल है। **यह मेहमानों के लिए संयुक्त है। दोनों के लिए संयुक्त। एक नीचे आता है, एक ऊपर जाता है। उसके जैसा।** इसलिए यह हॉल (अस्पष्ट आवाज़) ड्रॉईन्ग रूम के लिए चला गया है और इस तरफ भोजन कक्ष के लिए। और यह मुझे दीवारों पर पेंट करने की आवश्यकता है। (अस्पष्ट आवाज़) (सहज योगीः (अस्पष्ट आवाज़)) वाकई? (सहज योगी (अस्पष्ट आवाज़)) मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसे लोग भगवान (अस्पष्ट आवाज़) हैं। लेकिन यह डाईनिंग सेट होना चाहिए। मुझे यहाँ से कुछ लकड़ी भी लेनी है (सहज योगीः हाँ श्री माताजी) क्या आप उनसे पूछेंगे? आप उन्हें कहते हैं कि यहाँ ऊपरी हॉल में बहुत सारी लकड़ी पड़ी है। ठीक है। यह देखिए मैंने जो एक चीज़ बनाई है। **एक बनाने के लिए, जिसे आप कहते हैं, एक स्वीमिंग पूल वहाँ पर।** यह (अस्पष्ट आवाज़) है। बस इसके सहारा देने के लिए। तो यह एक और। यहाँ ड्रॉइन्ग रूम है। और हम कुछ कलाकारों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चित्र यहाँ और यहाँ बनाने के लिए (सहज योगीः वाह) (सहज योगीः कुछ सहज योगी हैं जो इस पर बने रहना चाहते हैं) सच में ? (अस्पष्ट आवाज़) इसे पसन्द करेंगे। **यह मेरा। वहाँ मेरे बच्चों का संयुक्त है। मेहमानों के लिए संयुक्त। भोजन कक्ष, वह ड्रॉइन्ग रूम है। क्योंकि वे भी अति लोकप्रिय व्यक्ति हैं।**

..... यह इस प्रकार से कैसे हम दूसरी मँजिल पर बना रहे हैं। (अस्पष्ट आवाज़)। वे ठीक हैं। **यह दूसरी बेटी का घर है।** (अस्पष्ट आवाज़)। आपके साथ क्या मामला है। हे ईश्वर। आप दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आते। (अस्पष्ट आवाज़) साथ आऐं। जो हैं उनके लिए ? (सहज योगीः हाँ श्री माताजी। दो और) इसमें भी अतिथियों के लिए डब्ल्यू.सी. है। यह हमारा (अस्पष्ट आवाज़)। **छोटी बेटियाँ।** अब उसे देखें।

.....और अधिक दिलचस्प चीज़ें देखते हैं। **तो यह वहाँ ड्राँईन्ग रूम और भोजन कक्ष है और बच्चों के लिए एक अध्ययन कक्ष है। यह अध्ययन कक्ष है। और इसमें दो बच्चों के लिए फिर से दो शयन कक्ष हैं।** (अस्पष्ट आवाज़) उसी समय। जी हाँ बिलकुल...(अस्पष्ट आवाज़)। **यह लड़के के लिए है। यह उसकी बालकनी है और वह यहाँ की गैलरी है।** .....(सहज योगी (अस्पष्ट आवाज़) में कितने शयन कक्ष हैं) 14 कह सकते हैं क्योंकि 10 वहाँ 2– 1 मेरा 1 मेरे पति का (अस्पष्ट आवाज़) 10, 3, यहाँ और 1 (अस्पष्ट आवाज़) 4...14 एक अच्छी संख्या है। ठीक है।

अनुलग्नक 5:

श्री गणेश पूजा, मुम्बई। 18 सितम्बर 1988 (समय 1:02:10 से 1:03:45)

https://www.amruta.org/1988/09/18/shri-ganesha-puja-2/

श्री माताजी के मराठी भाषण का हिन्दी में अनुवाद:

''अब मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ फिर से, कि हमारे घर.....प्रतिष्ठान में, ये मेरा रहने के लिए घर है और ये मेरा निजी घर है। और यहाँ कोई भी सहजयोगियों को नहीं आना है। कहीं से भी, मतलब के या बिना मतलब के आना ही नहीं है। कोई भी मुझे वहाँ मिलने आऐंगे ही नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। मैंने अगर कहा मिलने आईए तो भी नहीं आना है। और मुझे बुलाना ही होगा तो मैं कुछ विशेष व्यवस्था करूँगी। कोई भी वहाँ आकर मेरा समय ना ले। बिना मतलब बैठना नहीं है। किसी भी काम में रहना चाहिए। कहीं से भी आएँ उनके आने पर रोक लगा दी जाएगी। किसी को भी नहीं आना है। मुझे काम है। मुझे भी थोड़ा समय चाहिए ना.....अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना है और आगे भी नहीं आना है। क्योंकि जब मेरे परिवार के लोग वहाँ आऐंगे, तब अगर सौ लोगों की कतार वहाँ पर लगी रहेगी, उसमें से आधों को भूतों ने पकड़ा है, आधों को कोई और तकलीफ है, कोई पैसे लेने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमारी स्थिति क्या होगी...ऐसे नहीं करना है। वह मेरा खुद का निजी घर है और उतना मेरे लिए रहने दीजिए। बाकी सब तो पब्लिक ही है। अब मैंने सबको साफ–साफ बता दिया है और सभी लीडर्स को भी याद रखना है अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, मैं उनसे नहीं मिलूँगी। अगर ये लोग उन पर गुस्सा हुए तो आपको उन पर गुस्सा नहीं होना है।